समाहरणालय, अरवल

बिहार सरकार

ई-मेल–dm-arwal.bih@nic.in वेबसाइट - arwal.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक- दिनांक -

आदेश

कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि पाये जाने पर विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक– जी/आपदा–06–02/2020 –3164 दिनांक 15.06.2021 द्वारा **दिनांक 16.06.2021 से दिनांक 22.06.2021 तक लगाया गया था।** तद्आलोक में कार्यादेश ज्ञापांक : **330/गो0, दिनांक 15.05.2021** द्वारा उसके अनुपालन हेतु आदेश निर्गत किया गया।

विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक– जी/आपदा–06–02/2020 –3296 दिनांक 21.06.2021 द्वारा **दिनांक 23.06.2021 से आगे दिनांक 06.07.2021 तक आंशिक संशोधनों के साथ निम्नवत प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया गया है।**

1. **सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य उपस्थिति के साथ अपराह्न 05.00 बजे तक खुलेंगें। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा।**
   अपवाद :– आवश्यक सेवाओं यथा– जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरबिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत खुले रहेंगें। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।
2. **सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (alternate days) संध्या 07.00 बजे तक खुल सकेंगें। जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगें।**
   अपवाद :–
   (क) बैंकिंग, बीमा एवं ए0टी0एम0 संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय/गतिविधियाँ।
   (ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान।
   (ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य **(Construction Works)**।
   (घ) **E-Commerce** से जुड़ी सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवायें।
   (ड) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य।
   (च) प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
   (छ) टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएँ, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ।
   (ज) पेट्रोल पम्प, एल0पी0जी0, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान।
   (झ) कोल्डस्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएँ।
   (ट) निजी सुरक्षा सेवाएँ।
   (ट) ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम–घूम कर बिक्री।
   (ठ) उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान/दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस–मछली/दूध/पी0डी0एस0 की दुकानें **प्रतिदिन संध्या 07.00 बजे तक खुलेंगी।** उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानों को जिला पदाधिकारी **Scatter** करेंगें, जिससे एक ही स्थान पर दुकानें न रहें और भीड़ न हों।
3. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां–सरकारी एवं निजी, दवा दुकाने, चश्मा की दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।

4. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी।
5. **सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगें।** इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाऍ भी नहीं ली जाएगी। **ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी।**

   अपवाद : राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा स्वास्थ्य देखभाल (Health Care) क्षेत्र में 6 प्रकार केकर्मियसों के लिए राज्य के नौ जिलों (बेगुसराय, गोपालगंज, खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पटना, सारण, वैशाली एवं बॉका) में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
6. **रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलेवरी एवं टेक अवे के लिए प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थित ढाबे take home के आधार के पर कार्यरत रह सकते है। आवासीय** होटलों में अतिथि के लिए **In-room Dining** अनुमान्य होगा।
7. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगें।
8. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल–कूद/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित रहेंगें।
9. सभी पार्क एवं उद्यान प्रतिदिन प्रातः 06.00 बजे से 12.00 मध्याह्न तक खुल सकेंगे। पार्क/उद्यान प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहननेआदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूी व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, एवं जिम अभी बंद रहेंगें।
10. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन – सरकारी एवं निजी – पर रोक रहेगी।
11. विवाह समारोह अधिकतम 25 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 25 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।
12. राज्य में **संध्या 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक Night Curfew लागू रहेगा। उक्त अवधि में निम्न अनुमान्य होंगे :–**
    - स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन।
    - अनुमान्य कार्यो से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन।
    - वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई–पास निर्गत है।
    - सभी प्रकार के मालवाहक वाहन।
    - वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई–जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो।
    - कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन।
    - अंतर्राज्जीय मार्गो पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन।
13. **निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर (Night Cerfew की अवधि को छोड़कर) कोई प्रतिबंध नहीं होगा।**
14. **सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।**

उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु आदेश निम्नवत् हैः–

I. गृह विभाग, बिहार, पटना के आदेश **ज्ञापांक 3296 दिनांक 21.06.2021** की कंडिका 02 में प्रदत निदेश के आलोक में अरवल जिला अंतर्गत अवस्थित विभिन्न प्रकार की दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने **हेतु निम्न प्रकार दिवस एवं समयावधि निर्धारित की जाती हैं :–**

क्र0	दुकानें/व्यवसायिक प्रतिष्ठान	दिन	दुकानें/व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलने का समय
1	निर्माण सामग्री यथा– सीमेन्ट, बालू, स्टील, स्टोन, इत्यादि एवं हार्डवोयर, इलेक्ट्रिक मोटर एवं पम्प मशीनरी, रंग, सेनेटरी, लोहा, पेंट, सटरिंग सामग्री, पम्पिंग सेट, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक गुडस, स्टूडियों, मोबाईल, रिचार्ज,कम्प्यूटर, ऑटोमोबाईल शो–रूम की दुकानें एवं हेयर कटिंग सैलून/पार्लर की दुकानें।	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार	संध्या 07.00 बजे तक
2	कपड़े, रेडिमेड परिधान, वस्त्र प्रतिष्ठान, आभूषण, मनिहारी, रूई, गद्दा, छाता, बर्तन, जूता, चप्पल, खेल–कूद की सामग्री, कॉपी–किताब की दुकान, साईकिल, फर्नीचर एवं अन्य सभी दुकानें/व्यवसायिक प्रतिष्ठान।	मंगलवार, गुरूवार, शनिवार	संध्या 07.00 बजे तक

दुकानों/प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा :–

- दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
- दुकान एवं प्रष्तिठान परिसर में सोशल डिस्टेसिंग मानकों (02 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा।, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किया जाएगा।
- **उपर्युक्त शर्तो का पालन नहीं किए जाने पर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।**

II. **अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल** को निदेशित किया जाता है कि **फल एवं सब्जी की दुकानों को Scatter Way लगवायेंगे, जिससे कि एक ही स्थान पर दुकानें न रहें और भीड़ की स्थिति उत्पन्न न हो।**

III. **जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल** को गृह विभाग बिहार, पटना के उक्त आदेश के आलोक में विशेष कार्य हेतु ई–पास निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

IV. **सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल** को निदेशित किया जाता है कि माईकिंग के माध्यम से **गृह विभाग** द्वारा निर्गत उपरोक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करायेंगें।

V. **जिला नजारत उप समाहर्ता, अरवल को निदेशित किया जाता है कि वे कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं श्री पंकज कुमार, नगर प्रबंधक, नगर परिषद्, अरवल** से समन्व्य स्थापित कर प्रत्येक वार्ड हेतु एक–एक ठेला की प्रतिनियुक्ति करायेंगे जो प्रतिदिन अपने वार्ड में धूम–धूम कर फल एवं सब्जी बेचेंगे। जिससे कि सब्जी मंडी में भीड़–भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो।

VI. **सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल** को निदेशित किया जाता है कि वे कार्यालय/सार्वजनिक/भीड़–भाड़ स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर समय–समय पर सेनेटाईजेशन कार्य कराते रहेंगें।

VII. **कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल एवं नगर पंचायत, कुर्था** को निदेशित किया जाता है कि नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित सभी दुकान/प्रतिष्ठानों के संचालक/दुकानदारों से अनुरोध कर कोविड वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करेंगें।

VIII. **अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल** को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करायेंगें।

IX. **अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल** को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश के अनुपालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगें एवं उल्लघंन की स्थिति में **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत विधि सम्मत** कार्रवाई करेंगें।

X. अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल, एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अरवल, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष, अरवल जिला भीड़–भाड़ वाले स्थलों यथा– सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (**SOP**) का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी स्थान/बाजार/प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरांत भी उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो, उन्हें अस्थायी रूप से बंद के साथ अन्य सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

XI. **जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, अरवल** को निदेश दिया जाता है कि इस आशय का प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सभी प्रेस/मीडिया/सोशल मीडिया के माध्यम से इसे प्रकाशित कराते हुए उक्त आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगें।

XII. **उप विकास आयुक्त, अरवल** इसके **वरीय प्रभार में रहेंगें। जिनका दायित्व होगा कि वे निर्गत दिशा–निर्देश का अनुश्रवण करेंगें तथा अनुपालन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें।**

XIII. **पुलिस अधीक्षक, अरवल** उपरोक्त आदेश का शत–प्रतिशत अनुपालन कराने हेतु सभी संबंधित को अपने स्तर से निदेशित करेंगें।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक 345/**गो0** **अरवल दिनांक** 22/06/**2021**

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया एवं पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, अरवल/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला नजारत उप समाहर्ता, अरवल/जिला सूचना एवं विज्ञान पदा0, अरवल/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा/ सुश्री प्रियंका कुमारी, वरीय उप समाहर्ता, अरवल/जिला पंचायती राज पदा0/जिला जन सम्पर्क पदा0/कार्यपालक पदा0, नगर परिषद्/नगर प्रबंधक/अनुमंडल पदा0 एवं अनुमंडल पुलिस पदा0, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/6/2021
जिला पदाधिकारी,
अरवल।